

एजीटी- 2025 पैरामेडिकल ग्रुप सी के अंतर्गत CSR ASSISTANT के पद हेतु स्थानांतरण समिति की अनुशंसा।

CSR ASSISTANT संवर्ग में अस्पताल से प्राप्त कर्मचारियों के निवेदन का ब्यौरा :-

संवर्ग का नाम	ESIC Model Hospital Bapunagar	ESIC Hospital Naroda	ESIC Hospital Ankleshwar	ESIC Hospital Vapi
CSR ASSISTANT	कोई स्थानांतरण अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। Mandatory स्थानांतरण के लिए कोई पात्र नहीं है।	कोई स्थानांतरण अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। Mandatory स्थानांतरण के लिए कोई पात्र नहीं है।	दो स्थानांतरण अनुरोध प्राप्त हुए हैं	एक स्थानांतरण अनुरोध प्राप्त हुआ है।

• स्थानान्तरण अनुरोध का विवरण

क.सं.	कर्मचारी का नाम	स्थानान्तरण निवेदन संख्या/दिनांक	वर्तमान तेनाती स्थान	अस्पताल/संस्थान का नाम जिसके लिए आवेदन किया
1	Mrs. Kalpanaben BHAVIN KUMAR Rathod	TRS0000042042 (12-06-2025)	ESIC Hospital Ankleshwar	P1-ESIC Hospital - Naroda, P2-ESIC Model Hospital - Bapunagar
2	Mr.DASHRATHBHAI PRAJAPATI	TRS0000042023(10-06-2025)	ESIC Hospital Ankleshwar	P1-ESIC Model Hospital - Bapunagar, P2-ESIC Hospital - Naroda, P3-ID-Mehsana, ROAhmedabad, P4-ID-Kalol, RO-Ahmedabad
3	Mrs. Pragna Laljibhai Ninama	TRS0000041997	ESIC Hospital vapi	ESIC Modal Hospital Bapunagar ESIC Hospital Naroda

स्थानांतरण अनुरोध की जाच करते समय स्थानान्तरण समिति द्वारा विचार किये गए बिन्दुओं का विवरण:-

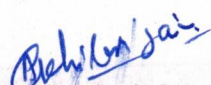
- यह पद सेंसिटिव नहीं है अतः इस पद पर पदस्थ किसी भी कर्मचारी को एक ही चिकित्सा संस्थान में तीन वर्ष पूर्ण होने पर अनिवार्य रूप से स्थानान्तरण करने की आवश्यकता नहीं है।
- इस संवर्ग में प्राप्त ट्रांसफर अनुरोध श्रीमती कल्पनाबेन भाविन कुमार राठोड, श्री दसरतभाई

प्रजापात एव श्रमती परगना लालजीभाई निनामा के एक ही चिकित्सा संस्थान में तीन साल पूर्ण नहीं हुए हैं।

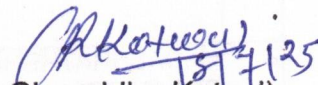
- दिनांक 28.12.2024 की स्थानान्तरण निति C. No.: 779649 File No.: Z-11/11/1/Misc/2021-Med.VI-Part(3) के पैरा 4(C)(ii) के अनुसार एक ही चिकित्सा संस्थान में तीन साल पूर्ण नहीं हुए हैं एवं इस सन्दर्भ में सम्बंधित कार्मिकों के कंट्रोलिंग अथॉरिटी से जस्टिफिकेशन प्राप्त होना अनिवार्य है परन्तु कंट्रोलिंग अथॉरिटी से कोई जस्टिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए प्राप्त स्थानान्तरण अनुरोध पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
- दिनांक 28.12.2024 की स्थानान्तरण निति C.No.: 779649 File No.: Z-11/11/1/Misc/2021-Med.VI-Part(3) के अनुसार किसी भी कर्मचारी के एक ही संस्थान में दस साल पूर्ण नहीं होते हैं, अतः कोई भी कर्मचारी अनिवार्य स्थानान्तरण(Mandatory Transfer) के अंतर्गत नहीं आता है।
- वर्तमान ट्रांसफर पालिसी के पैरा 7a(e) कुल कर्मचारियों के मात्र 10 प्रतिशत कर्मचारियों की ही ट्रांसफर करनी है। जब की कुल कर्मचारियों की संख्या 154 है। अतः यह स्थानान्तरण में एक रिक्ति का उपयोग करना ठीक नहीं है।
- अंकलेश्वर एवं वापी से ट्रांसफर के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं परन्तु वह दो स्थान पे जाने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः ट्रांसफर पॉलिसी के आई पी की हिताकारी के सिद्धान्त अनुसार भी ट्रांसफर करना योग्य नहीं है।

AGT-2025 के अंतर्गत CSR ASSISTANT पद में किसी भी कर्मचारी की स्थानांतरण की अनुशंसा नहीं की जाती है।

Digitally signed by
Paresh Jadavbhai Acharya
Date: 14-07-2025
14:41:15


(Dr. Akhilesh Jain)
(Chairperson)

(Dr. Paresh Acharya)
(Member)


(Smt. Chandrika Kotval)
(Member)